रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1544] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2010/श्रावण 6, 1932
No. 1544] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2010/SHRAVANA 6, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

सं. 65/2010-आयकर

का.आ. 1849(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ), दिनांक 3 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची 1 में, क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-I	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- हैदराबाद एवं रंगारेड्डी जिले	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'एफ' अक्षर में से किसी से नाम शुरू होने वाली

				व्यष्टि के रूप में व्यक्ति; (ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित तथा कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में व्यक्ति; (घ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है; (च) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।	कम्पनियों के मामले में; (ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है; (ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है; (घ) ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का प्रधान स्रोत मूवी, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, कला, फोटोग्राफी एवं समान स्वरूप के ऐसे अन्य मनोरंजन उद्योग से संबंधित किसी गतिविधि से है, जिसमें श्रव्य या दृश्य निर्माण, वितरण, डिस्प्ले, साफ्टवेयर

					सहायता, अवसंरचना सहायता, तकनीकी सहायता, वित्त पोषण, स्टेज शो के अलावा कलाकारों, वीडियो एवं डिस्क जाकी, केबल एवं रेडियो आपरेटर के मामले में शामिल हैं।
2.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-II	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- (क) हैदराबाद एवं रंगा रेड्डी जिले	(क) कालम (6) के मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है तथा क्रमांक 1 के कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न हैं; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि के रूप में व्यक्ति;	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'ई' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'टी' अक्षर में से किसी से नाम शुरू होने वाली कम्पनियों के मामले में; (ख) ऐसे व्यष्टि के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है;
			(ख) (i) हैदराबाद के	(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित	(ग) व्यक्ति जिनकी

	नगर पालिका वार्ड 8(3), 19 एवं 21 तथा (ii) रंगा रेड्डी जिले के मंडल। (क) राजेन्द्र नगर (ख) शामसाबाद (ग) महेश्वरम (घ) मोड़नाबाद (ङ) शेरिलिंगमपल्ली (च) विकराबाद (छ) शाबाद (ज) चेवेल्ला (झ) नवाबपेट (ञ) मोमिनपेट (ट) बशीराबाद (ठ) यलाल (ड) तंदुर (ढ) दारूर (ण) पार्गी (त) डोना (थ) गनडीड (द) मरपल्ली (ध) कुल्कीचेरिया	व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (घ) कालम (6) मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो कंम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है;	आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है;

			(न) पुदुर (ऩ) पेड्डेमुल (प) शंकरपल्ले (फ) बंताराम		
			(ग) करीम नगर जिला (घ) मेडक जिले के मंडल (क) संगारेड्डी (ख) सदाशिवपेट (ग) जहिराबाद (घ) कोवडपल्ले (ङ) झारसंगम (च) कल्हेर (छ) कोहिर (ज) कोंडापुर (झ) कांगती (ञ) मानूर (ट) मुनपल्ली (ठ) नारायणखेड (ड) न्यालकल (ढ) पतनचेरू (ण) रामचंद्रपुरम (त) रायकोडे	(ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (च) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है; (छ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (ज) कालम (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि के रूप में व्यक्ति;	(घ) कालम (5) की मद (ड.), (च) एवं (छ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ड.) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त कालम (5) की मद (छ) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है;

			(थ) अंडोले (द) पुलकाल (ध) रगोडे (न) अल्लादुर्ग (ऩ) टेकमल (प) जिन्नाराम (फ) पापनपेट (ब) कुल्चाराम (भ) नर्सापुर (मं) हटनूर		
3.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-III	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- (क) हैदराबाद एवं रंगा रेड्डी जिले	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है तथा क्रमांक 1 के कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न हैं; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि के रूप में व्यक्ति;	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'आर' या 'एस' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' अक्षर से नाम शुरू होने वाली कम्पनियों के मामले में; (ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक

					या सचिव है;
			(ख) हैदराबाद नगर पालिका वार्ड 6, 7, 8 (1), 8(2), 8(4) एवं 9	(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (घ) कालम (6) के मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनियों से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगौलिक क्षेत्र में है तथा जो क्रमांक 1 के कालम (6) की मद (ख) द्वारा शामिल नहीं हैं;	(ग) जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है उनसे भिन्न मामले;
			(ग) कुरनूल जिला (घ) मेडक जिले के मंडल (क) सिड्डीपेट (ख) गजवेल (ग) वारंगल (घ) नंगानूर (ड) जगदेवपुर (च) कोंडापक (छ) मुलुगू (ज) चिन्नाकोडूर	(ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित सभी मामले जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (च) कालम (6), मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा आय आहारित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है;	(घ) कालम (5) की मद (ड.), (च) एवं (छ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ड.) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त कालम (5) की मद (छ) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध

			(झ) डुब्बक (ञ) मिरडोड्डी (ट) दौलताबाद (ठ) तूपरन (ड) चेगूंटा (ढ) शंकरमपेट (चिन्ना) (ण) रामायमपेट (त) मैडक (थ) शंकरमपेट(ए) (द) शिवापेट (ध) चेलदुर्थी	(छ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ज) व्यक्ति जो कालम (6) की मद (ड.) में व्यष्टि के रूप में उल्लिखित हैं।	निदेशक या प्रबंधक या सचिव है;
4.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-IV	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- (क) हैदराबाद एवं रंगा रेड्डी जिले	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है तथा जो क्रमांक 1 के कालम 6 की मद (घ) द्वारा शामिल नहीं हैं; (ख) व्यक्ति, जो कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि हैं;	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' अक्षर में से किसी से नाम शुरू होने वाली कम्पनी के मामले में; (ख) व्यष्टि के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों

					में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है;
			(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में, हैदराबाद के नगर पालिका वार्ड 1 से 5	(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (घ) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर हैं;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से भिन्न है;
			(ग) महबूबनगर जिला	(ङ.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) मद (ख) में उल्लिखित भौगौलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं; (च) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित	(घ) कालम (5) की मद (ङ.), (च) एवं (छ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ङ.) व्यष्टि के मामले में, जो कालम (5) क मद (छ) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या

				भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है; (छ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ज) कालम (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि के रूप में व्यक्ति।	प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है”

[फा. सं. 187/28/2005-आ.क.नि.-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II. खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 732 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 के तहत प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 1843 (अ), दिनांक 27 जुलाई, 2010 के तहत संशोधित की गई।